रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 219] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 29, 2019/चैत्र 8, 1941
No. 219] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 29, 2019/CHAITRA 8, 1941

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2019

सा.का.नि. 246(अ).—केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए प्रारूप नियम मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) के अधीन यथा अपेक्षित भारत सरकार में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 119(अ), तारीख 15 फ़रवरी, 2019 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किए गए थे जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनको उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियाँ जनता को उपलबद्ध करा दी गयी थीं, तीस दिन की अवधि के अवसान से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे ;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को 15 फ़रवरी, 2019 को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और उक्त प्रारुप नियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया है ;

अत:, अब केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय मोटर यान (तीसरा संशोधन) नियम, 2019 है ।

(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे। ।

2. केंद्रीय मोटर यान नियम,1989 के नियम 125ग में :-

(क) उप-नियम (7) के खंड (क) में "चालक को छोड़कर 13 या अधिक यात्रियों के बैठने की क्षमता" शब्दों और अंकों के स्थान पर "चालक को छोड़कर 22 से अधिक यात्रियों के बैठने की क्षमता" शब्दों और अंकों को रखा जाएगा।

(ख) उप-नियम (7) के खंड (ख) में, सारणी 1 में क्रम संख्यांक 6 एवं क्रम संख्यांक 7 और इन से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियों को रखा जाएगा, अर्थात. -

"6	उन्नतब्रेक निष्पादन , एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (एबीएस), इलेक्ट्रोनिक वाहन स्थिरता नियंत्रण प्रणाली (ईवीएससी) और अन्य आवश्यकताएं	एआईएस:150 और एआईएस:153	1 अप्रैल, 2023
7	अजिन संसूचन,चेतावनी (एफ़ डी ए एस) और शमन प्रणाली (एफ़ डी एस एस)	एआईएस:135 और एआईएस:153	1 अप्रैल, 2019 (स्कूल बसों के सिवाय) 1 अप्रैल, 2019 (स्कूल बसों के लिए एफ़ डी ए एस) 1 अप्रैल, 2020. स्कूल बसों के लिए एफ़ डी एस एस)".

[एफ. सं. आरटी-11028/02/2013-एमवीएल]

प्रियांक भारती, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम**,** भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 174 (अ) तारीख 1 मार्च, 2019 द्वारा अंतिम रूप से संसोधित किए गए थे।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th March, 2019

G.S.R. 246(E).—Whereas, the draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989 were published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways vide number G.S.R 119 (E), dated the 15th day of February, 2019, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 15th day of February, 2019;

And whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:-

1. **Short title and commencement.—**(1) These rules may be called as the Central Motor Vehicles (third Amendment) Rules, 2019

   (2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989, in rule 125C.-

(a) In clause (a) of sub-rule (7), for the words and figures "seating capacity of 13 passengers or above excluding driver" the words and figures "seating capacity exceeding 22 passengers excluding driver" shall be substituted;

(b) in clause (b) of sub-rule (7), in TABLE I for serial number 6 and serial number 7 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely:-

"6.	Improved Braking Performance, Anti-Lock Braking System (ABS), Electronic Vehicle Stability Control System (EVSC) and Other requirements.	AIS:150 and AIS:153	1st April 2023
7.	Fire Detection Alarm (FDAS) and Suppression System (FDSS)	AIS:135 and AIS:153	1st April 2019 (other than school buses) 1st April 2019 (FDAS for school buses) 1st April 2020 (FDSS for school buses).".

[F. No. RT-11028/02/2013-MVL]

PRIYANK BHARTI, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and lastly amended *vide* notification number GSR 174 (E) dated the 1st March, 2019 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) dated the 1st March, 2019.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ
KUMAR
VERMA
Digitally signed by
MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2019.03.30
15:17:51 +05'30'